हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 95

मंगलवार, 17 फरवरी, 2026/28 माघ, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल आरम्भ होने से पूर्व ही **माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने Neva के संदर्भ में विषय उठाना चाहा परन्तु **माननीय अध्यक्ष महोदय** ने व्यवस्था देते हुए कहा कि ठाकुर साहब पहले प्रश्न काल होने दीजिए क्योंकि प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है अन्यथा फिर यह नयी प्रथा बन जाएगी कि प्रश्न काल से पहले ही व्यवस्था का प्रश्न शुरू हो जाएगा। आपका विषय प्रश्न काल से कैसे जुड़ा हुआ है आप इस पर सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। आज यहां पर बहुत ज्यादा स्थगित प्रश्न लगे हुए हैं जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा कंसर्नड रहते हैं और आपका कहना था कि स्थगित प्रश्न बार-बार स्थगित नहीं होने चाहिएं। आज सबसे पहला प्रश्न आदरणीय विनोद कुमार जी का लगा है आप इन्हें बोलने का मौका दीजिए। I am not allowing anybody. I am just starting the Question Hour. NeVA हमारी प्रणाली नहीं है। NeVA यूनियन ऑफ इंडिया की प्रणाली है और हम भी इससे परेशान हैं। इस बात को मैंने लोक सभा में भी बोल दिया है और केन्द्र सरकार को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। माननीय सदस्यों को यह पता नहीं लग रहा कि उन्होंने प्रश्न या नोटिस देने हैं या नहीं। यह सत्र एक दिन, दो दिन या तीन दिन के लिए हो रहा है लेकिन मैंने कल भी आपसे यह कहा था कि सत्र की नोटिफिकेशन

तीन दिन के लिए की गई है। तीन दिन में हमने पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनैस को ट्रांजैक्ट कर लिया है। इसके अगले दिन प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। सभी माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अपने प्रश्न, सारे नोटिसिज जिन-जिन नियमों के तहत देना चाहते हैं, वे दें। जब सेशन नोटिफाई हो गया और पोर्टल नहीं चल रहा है तो आप अपने प्रश्न/नोटिसिज रिटन में दे दें क्योंकि यह सत्र लम्बा चलना है। अभी इस सत्र के 15-20 दिन और हैं इसलिए आपके प्रश्न भी लगेंगे, शून्यकाल भी आरंभ होगा। जो भी नोटिसिज आएंगे उन पर चर्चा होगी। This, I can assure to all the Hon'ble Members of this House.

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 3055 (स्थगित) 3538(स्थगित) व 3583(स्थगित) और तारांकित प्रश्न संख्या 3834 से 3836 तथा 3838 से 3841 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3837 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3842 से 3843 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 927 (स्थगित), 1172(स्थगित) व 1518(स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्याः 1554 से 1556 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के तुरंत बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने प्रश्न/नोटिसिज़ देने के संदर्भ में उत्पन्न भ्रम, माननीय सदस्यों के भाषण के पूर्ण वीडियो

क्लिप्स मुहैया करवाने तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि व ऐच्छिक निधि की शेष बची हुई किस्तों को तुरंत प्रभाव से जारी करने के संबंध में माननीय सदन में विषय रखा।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने तीन विषयों को उठाया है और उनमें से दो विषय विधान सभा से मुतल्लिक हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आमतौर पर बजट सत्र की 15 से 18 बैठकें होती हैं। अभी हमारा बजट सत्र शुरू हो चुका है और यदि इसके बीच में कोई ब्रेक आती है तब भी वह बजट सत्र का ही पार्ट होगा। जब बजट सत्र की अंतिम तिथि नोटिफाई होती है तो उसके सात दिन पहले तक प्रश्न दिए जा सकते हैं। अभी हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है और माननीय विधायकों की ओर से जितने भी नोटिस व प्रश्न आएंगे, हम विधान सभा में उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर व नियमों के तहत लगाएंगे।

दूसरा, नेवा नहीं चल रहा है उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि इसके संदर्भ में लोकसभा व माननीय केन्द्रीय मंत्री के समक्ष बात को रखा गया है। इस माननीय सदन के सदस्यों की भी यही भावनाएं हैं कि नेवा उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है जिस प्रकार से हमारा ई-विधान मॉड्यूल काम करता था। हम नेवा पर भी काम करते रहेंगे और vis-à-vis ई-विधान मॉड्यूल को भी रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। इसके संदर्भ में हमने सरकार व लोकसभा से पत्राचार भी किया है। We are thinking to revive our own module also. फिलहाल जो मुझे सूचना दी गई है और निदेशक, एन0आई0सी0, हि0प्र0 विधान सभा भी कह रहे हैं कि अभी नेवा का पोर्टल ठीक चल रहा है। मैं भी सदन की सारी कार्यवाही नेवा पोर्टल पर ही देख रहा हूं। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को समस्याएं आ रही हों तो मैं विधान सभा के आई0टी0 सैल के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश देता हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों को समस्याएं आ रही हैं उनके इश्यूज़ को अड्रैस करें।

नेता प्रतिपक्ष जी ने रिकॉर्डिंग से संबंधित बात कही है तो मेरे पास सूचना आई है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पिछले कल 07:30 बजे रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दी गई थी जबकि वे रात्रि 10:30 बजे कह रहे थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जी का पूरा-का-पूरा भाषण रिकॉर्डिड है और अन्य माननीय सदस्यों का भी पूरा भाषण रिकॉर्डिड है। यदि हमने किसी माननीय सदस्य द्वारा माननीय सदन में दिए गए भाषण के किसी भाग को विलोप नहीं किया है या उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दी है तो उस माननीय सदस्य को उनका पूरा

भाषण मिलेगा। यह व्यवस्था पहले भी थी, अब भी है और आगे भी जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य को उसी वक्त भाषण की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दी जाए तो यह थोड़ा मुश्किल है। जैसे पिछले कल एक इश्यू हो गया था और मैं अभी उसे रैफर नहीं करना चाहता हूं। यहां पर अनेक बार कोई माननीय सदस्य भाव में बहकर बहुत सारी बातें कह देता है और बाद में उसी माननीय सदस्य को लगता है कि भाव में बहकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो पब्लिक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि हम माननीय सदस्यों के भाषण की रिकॉर्डिंग को 5-6 बजे तक या जब तक सत्र की कार्यवाही चलेगी उसके बाद ही उपलब्ध करवाया जाएगा।

विधायक क्षेत्र विकास निधि के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। आर0डी0जी0 का मुद्दा जब खत्म होगा और वोटिंग के बाद हम एक-साथ बैठेंगे और तब तय करेंगे कि कितनी विधायक निधि दे सकते हैं।

श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश की मंडी-गागल-चैलचौक-जंजैहली सड़क (एम0डी0आर0), जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है, के संदर्भ में केन्द्रीय मंत्रालय के साथ हुए पत्राचार के संबंध में स्थिति स्पष्ट की तथा वर्तमान सरकार द्वारा सी0पी0एस0 के मामले में वकीलों को दी गई भारी-भरकम फीस का जिक्र किया।

उक्त विषय पर माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कि उन्होंने यह फीस प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए दी है ।

शून्य काल

1. **श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक)** ने विषय उठाया कि विश्वविद्यालयों में सिम्पल बी0ए0 की बजाय ऐसे कोर्सिज चलाए जाएं जिससे कि अनइंप्लॉयमैंट कम हो। मीनिंगफुल एजुकेशन और जॉब ओरिएंटेड कोर्सिज चलाए जाएं और मेन स्ट्रीम में B.Voc को लाया जाए ताकि प्रदेश बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करवाया जा सके।

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है, it is suggestion for action और विभाग इसमें सीरयसली एक्ट करेगा।

2. श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की शेष बची हुई किस्तों को तुरंत प्रभाव से जारी करने का विषय उठाया और चाहा कि इसे आर0डी0जी0 के साथ न जोड़ा जाए क्योंकि इसके संबंध में पहले ही बजट में घोषणा की जा चुकी है।

Hon'ble Speaker said that again a very important issue has been raised by the Hon'ble MLA. Since the Hon'ble Chief Minister is not here in the House, he may reply to this issue later as and when he will be available. But as you all know, I am very liberal in allowing issues which pertains to the public at large, which pertains to the State of Himachal Pradesh and this is also one of the issues in the Zero Hour. Though, there was no written notice, yet I have allowed you. The limitation the Government has that they will explain it. So, I will request all the Hon'ble Members since the Hon'ble Chief Minister as time and again apprise this House that these are the limitations so we must understand those limitations also instead alleging something, which you have to prove later on the record also.

3. डॉ जनक राज, सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के होली नामक क्षेत्र में साह पंचायत के तहत पड़ने वाले गांव सलून में गर्मियों से पहले ही 200 मीटर पैदल रास्ते के निर्माण का विषय उठाया जहां पर मानसून के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।

माननीय राजस्व मंत्री ने इस विषय की अद्यतन स्थिति पता करने के उपरांत आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः

सचिव, विधान सभा द्वारा **हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 3)** की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

3. कागज़ात सभा पटल परः

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी गई।

4. नियम-102 के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा जारी।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग एवं संसदीय कार्य मामले मन्त्री द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी हुईः-

"प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जो कि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए।"

उक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित ने भाग लियाः -

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय उप-मुख्य मंत्री

01.13 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

(भोजनावकाश के उपरांत 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-102 के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर जारी चर्चा में निम्नलिखित ने भाग लिया :-

2. श्री विनोद कुमार, सदस्य
3. श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य
4. श्री प्रकाश राणा, सदस्य
5. श्री राजेश धर्माणी, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री

(03.24 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

6. श्री बिक्रम सिंह, सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे आपदा के समय में हेलीकॉप्टर के बजाए सड़क के माध्यम से प्रदेश भर में गए हैं इसलिए माननीय सदस्य को बोलने से पहले ठीक से सोच लेना चाहिए। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने भी प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है जिस तरह से तीन वर्षों से सुधार किये हैं। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी सरकार के समय में जो 54,000 करोड़ रुपये मिले थे अगर उसका सही आंकलन करते और उसमें से 20,000 करोड़ रुपये लोन के रूप में लिए गए 48,000 करोड़ रुपये को चुकता करने के लिए दे देते तो आज प्रदेश में ऐसे हालात नहीं होते। हमने 17 हजार करोड़ रुपये में अच्छा प्रबन्धन किया है, 54 हजार करोड़ रुपये वाला प्रबन्धन नहीं किया। जो आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को लैंडलाइन टेलीफोन अलाउंस मिलता था अब उसको खत्म करके अगर इनको इंटरनेट अलाउंस दे रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आर0डी0जी0 के रूप में प्राप्त अनुदान तथा किए गए लोन भुगतान के संबंध में सदन को विस्तार से जानकारी दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर ऋण

और ब्याज का औसतन पे-आउट रेट 95 प्रतिशत रहा जबकि वर्तमान सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में पे-आउट रेट केवल 60 प्रतिशत रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में आर0डी0जी0 व जी0एस0टी0 शेयर के संबंध में विस्तार से माननीय सदन को अवगत करवाया और साथ ही सरकार द्वारा किए गए कुशल प्रबन्धन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आर0डी0जी0 हिमाचल का अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई के लिए कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। विपक्ष को भी इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री से स्पष्ट बात करनी होगी। अगर हम सभी 17 तारीख से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करते हैं तो आर0डी0जी0 को पुनः बहाल किया जा सकता है।

7. श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मंत्री

(04.47 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)
(05.00 बजे अपराह्न सदन का समय 08.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

8. डॉ0 हंस राज, सदस्य
9. कुमारी अनुराधा राणा, सदस्य

(05.21 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

10. श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य
11. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सदस्य

(05.59 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए।)

श्री विपिन सिंह परमार, माननीय सदस्य ने श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सदस्य द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर के लिए प्रयोग किए गए कुछ शब्दों को असंसदीय कहते हुए कार्यवाही से विलोपित करने का आग्रह किया। जिस पर माननीय उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने भी श्री सुन्दर सिंह ठाकुर द्वारा प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए उन्हें कार्यवाही से विलोपित करने का आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी दोनों पक्षों की ओर से अनजाने में प्रयोग किए गए असंसदीय/आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से विलोपित करने का आग्रह किया।

(06.27 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"No personal remarks please. Some personal remarks have come on the record. I will peruse the whole record vis-à-vis Thakur Sunder Singh Ji and Thakur Jai Ram Ji and will see that all those personal remarks will be removed from the records. Please don't be personal in debate."

12. श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आर0डी0जी0 का मतलब रेवेन्यू डेफिशिट ग्रांट होता है। जिन प्रदेशों की आय और व्यय में अंतर होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए संविधान में आर0डी0जी0 का प्रावधान किया गया है। इसलिए आर0डी0जी0 हिमाचल प्रदेश का अधिकार है जिस संबंध में संविधान में दिए गए प्रावधानों और प्रोविज़ो का वर्णन वे अपने उत्तर में करेंगे।

13. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य
14. श्री इन्द्र सिंह गांधी, सदस्य

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"No personal remarks please. All those references which the Hon'ble Member has made and which are undesirable will not be part of the record."

15. श्री आर0एस0 बाली, सदस्य

16. श्री जीत राम कटवाल, सदस्य

(07.37 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए।)

(07.56 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

07.57 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

***